2015/00009

मिसल नं0 07/2015 सरकार जरें तहसीलदार पीपल्दा बनाम रमेश,महावीर पुत्र रामलाल वगै0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-11-19	पेरोकार सरकार उपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमियों के आवंटन तथा विक्रय संबंधी) नियम 1957 के अधीन कृषि भूमि का स्थायी आवंटन के नियम 4 व 20 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर तथ्य अंकित किये है कि ग्राम सिनोता की भूमि खं0 नं0 448 रकबा 4.45 है0 का आवंटन किया गया था । आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लघंन करने एवं आदिनांक तक आवंटित भूमि पर अप्रार्थी (आवंटी) का कब्जा काश्त नही होने से नियम 14 (4) के अन्तर्गत अप्रार्थी का आवंटन निरस्त कर सिवाय चक दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया गया । उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पर्चा मौका रिपोर्ट के अनुसार आवंटित भूमि पर अतिक्रमी श्री गुडडू उर्फ ओमप्रकाश पुत्र सीताराम जाति मीना निवासी आडागेला उर्फ हरिनगर का कब्जा होना बताया है । तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई । अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे है । इस न्यायालय से आवंटन की मूल पत्रावली तलब करने हेतु इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/एडीएम/रीडर/2016/10 दि0 04.01.2016,1094 दि0 04.05.2016,2117 दि0 11.08.2016,485 दि0 19.06.2017,1193 दि0 19.06.2017,1781 दिनांक 05.10.2017,13 दि0 02.01.2018, 707 दि0 10.08.2018, 39 दि0 04.01.2019,516 दि0 10.07.19 से तहसीलदार पीपल्दा को लिखे जाने के उपरान्त भी आवंटन पत्रावली नही भिजवाई है । तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि के आवंटन दिनांक अंकित नही है और न ही आवंटन निरस्तीकरण का स्पष्ट कारण अंकित किया है जबकि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न मौका पर्चा रिपोर्ट के अनुसार आवंटित भूमि पर अतिक्रमी श्री गुडडू उर्फ ओमप्रकाश पुत्र सीताराम जाति मीना निवासी आडागेला उर्फ हरिनगर का कब्जा होना बताया है । अतः तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि प्रार्थना पत्र में भूमि आवंटन की दिनांक व आवंटन निरस्तीकरण का स्पष्ट कारण अंकित करते हुए एवं मूल आवंटन की पत्रावली सहित पुनः नये सिरे से उक्त आवंटन निरस्तीकरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें ।मूल ही मय दस्तावेज तहसीलदार पीपल्दा को लौटाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो । अति0 जिला कलेक्टर कोटा	